सेवा में,
मा० मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड सरकार,
देहरादून।

विषय : उत्तर प्रदेश शासनादेश द्वारा सृजित अस्थायी/अधिसंख्य (Supernumerary) उर्दू अनुवादक-कनिष्ठ लिपिक पदों की अवधि दिनांक 28-02-1996 को समाप्त होने के उपरांत भी नियुक्त कर्मचारियों की सेवा जारी रहने की जांच एवं कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से शासन द्वारा अवैधानिक गतिविधियों जैसे थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में एक गंभीर विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जो सरकारी विभागों में कथित रूप से जारी अवैध नियुक्तियों से संबंधित है।यानि की एक और जिहाद चल रहा है वह है, फर्जी नियुक्ति जिहाद, जो कि पुलिस विभाग, जिला आबकारी विभाग, जिलाधिकारी के विभाग व अन्य विभागों में धड़ल्ले से चल रहा है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में पूर्व में भी कई शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं, किन्तु प्रभावशाली व्यक्तियों एवं अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो सकी।

महोदय, उत्तराखण्ड राज्य सन् 2000 से पूर्व उत्तर प्रदेश का भाग था तथा उत्तराचंल राज्य जिस को बाद में उत्तराखण्ड किया गया वह 09.11.2000 के अस्तित्व में आया। महोदय उत्तर प्रदेश शासन में उर्दू में रोजी रोटी से जोडने सम्बन्धी समसख्यक शासनादेश संख्या 80 सी०एम०/47-का4-94-10/10/10/94 जो कि उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक वेतनमान रूप्ये 950-1500 के पदों की नियुक्ति के सम्बध था। उक्त शासनादेश द्वारा मण्डल स्तर कार्यालय जिला स्तर कार्यालय बुन्देलखण्ड, कुमाउं, गढवाल मण्डलों में नियुक्तियां नही थी। शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है। दिनांक 03.05.1995 में इसी इसी कम में उत्तर प्रदेश का शासन द्वारा जारी शासनादेश 80 सी०एम०/47-का4-94-10/10/10 /94 दिनांक 03.05.1995 में जारी किया गया है उक्त आदेश द्वारा यह स्पष्ट लिखा है कि "यदि विभाग में कनिष्ठ लिपित का पद रिक्त है तो प्रश्नगत् नियुक्ति ऐसे रिक्त पद की आस्थिगित करते हुए की जायेगी। यदि कनिष्ठ लिपिक भी कोई विद्यमान न हो तो भी नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य (Supernumerary) पद में प्रति की जोयगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो दिनांक 28.02.1996 अथवा कार्यालय में होने वाली प्रथम कनिष्ठ लिपिक की रिक्ति ने दिनांक तक जो पहले ही सृजित रहेगा व तत्पश्चात स्वमेव समाप्त हो जायेगा। इसके बावजूद आरोप है कि विभिन्न विभागों जैसे पुलिस विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, जिला आबकारी विभाग, तहसील कार्यालय, विकासखंड कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में नियुक्त उर्दू अनुवादक आज भी सेवा में कार्यरत हैं, जबकि उक्त पदों की अवधि शासनादेश के अनुसार समाप्त हो चुकी थी।

यह कि उत्तर प्रदेश शासन में मिली भगत कर जो भी उर्दू अनुवादक जिला स्तर मण्डल स्तर मण्डल आयुक्त कार्यालय, प्रदेश में विभागध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, जिला अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय, जिला आबकारी विभाग, पुलिस विभाग एवं समस्त मण्डलों, में नियुक्तियां हुई वे सब 28.02.1996 के बाद भी जारी

Scanned with OKEN Scanner

रही है जबकि वह 28.02.1996 को स्वमेव समाप्त हो गई थी। ऐसे कर्मचारी नौकरी से हटाने के विरूद्ध उच्च न्यायालय से स्थागन लेकर आ गया था परन्तु जो कि स्वतः ही समाप्त हो गया था लेकिन कर्मचारी आज भी कार्य कर रहा है। इस प्रकार की नियुक्तियां पुलिस विभाग में तथा जिलाधिकारी स्तर के कार्यालय में भी कार्य कर रहे हैं, जबकि उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश भी काफी अर्से पूर्व समाप्त हो चुका है।

महोदय पिछले कुछ माह पूर्व दूरभाष एवं टीवी रेडियों आदि पर उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के चयन सम्बन्धी भ्रष्टाचार के विषयों में समाचार प्रसारित हुए उस विषय में राज्य सरकार ने अन्वेषण हेतु एस०टी०एफ० की नियुक्ति की तथा इस प्रकार की नियक्तियों में पुलिस विभाग में जिला स्तर कार्यालय कार्य कर रहे हैं। पुलिस विभाग, जिला कार्यालय पुलिस मुख्यालय से मांगी गई सूचना की प्रति संलग्न है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 28.02.1996 को सेवाये समाप्त कर दी गई हैं।

महोदय उत्तराखण्ड शासन में भी काफी कर्मचारी नौकरी कर रहे है तथा जब शासन इस विषय में सूचना मांगी गई तो उन के द्वारा सूचित किया यह प्रकरण उत्तराखण्ड गठन से पूर्व का है इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नही है। प्रति संलग्न है।

महोदय उत्तराखण्ड शासन में अधिकारी एवं भ्रष्ठ कर्मचारी मिली भगत राज्य को करोडोरूपयों की हानि पहुंचा रहे है, जबकि उन की सेवा में रहने की कोई अधिकार नही है। परन्तु गैर कानूनी रूप में नौकरी कर रहे हैं।

यह भी निवेदन है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था, किन्तु उक्त स्थगन आदेश की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी सेवा जारी रहने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस विषय में विभागीय स्तर पर जांच आवश्यक है।

महोदय, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं से भी यह तथ्य सामने आया है कि उक्त नियुक्तियां उत्तर प्रदेश शासनादेश से संबंधित थीं तथा उत्तराखण्ड गठन से पूर्व की हैं। संबंधित अभिलेख संलग्न किए जा रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि—

1. उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में कार्यरत ऐसे सभी उर्दू अनुवादक/कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवा अभिलेखों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
2. शासनादेश की शर्तों के अनुसार पदों की वैधता एवं सेवा निरंतरता की समीक्षा कराई जाए।
3. राज्य को हुई संभावित वित्तीय क्षति की भी जांच कराई जाए।

आशा है कि शासन जनहित एवं प्रशासनिक पारदर्शिता के दृष्टिगत इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करेगा।

दिनांक: 20.06.2026

INLAND SPEED POST DOCUMENT
EV953363430IN
Dely Office & Pincode:Dehradun GPO(248001)
Booking Office: Dehradun Kty SO (248001)
Counter No. 2, 20-06-2026 14:20:01
GSTNo.05AAAGS1260B1ZW BkgRefID: 32660118200626690873
ChargedWeight(gms):180 Phy.Wt(gms):180 Vol.Wt(gms):NA(L:NA B:NA H:NA)
AmountPaid 28.00(Base Tariff-Rs.24 Tax-Rs.4) (CGST:2.00 SGST:2.00)
ModeofPayment:Cash

Sender	Receiver
VIKESH SINGH NEGI Mobile No.9758222922 COURT COMPOUND DEHRADUN UTTARAKHAND-248001	MUKHYAMANTRI Mobile No.1234567890 UK GOVT DEHRADUN DEHRADUN UTTARAKHAND-248001

Track on www.indiapost.gov.in Or Dial 18002666868 · IVR NO : 6966853363430
In case of any complaint, please visit https://crm.indiapost.gov.in/customer
Go Green!!! Opt for eReceipts, ePOD
This is system generated document, no manual signature required
20-06-2026 14:20:21

प्रार्थी
(विकेश सिंह नेगी)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड,
चैम्बर सं० 1ए निकट शहीद स्मारक,
देहरादून।
मो०: 9758222922

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

मा0 मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत
उत्तराखण्ड सरकार,
देहरादून।

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू अनुवादकों की शासनादेश द्वारा तदत की गई थी जो कि 28.02.1996 को समाप्त हो गई थी प्रथम नियुक्ति उर्दू अनुवादक के रूप में हुई थी तथा उसके बाद पदोन्नती प्राप्त कर के भ्रष्ट अधिकारियों से मिल कर अन्य पदों पर पदोन्नती प्राप्त कर आज भी सेवारत है।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य सन् 2000 से पूर्व उत्तर प्रदेश का भाग था तथा उत्तराचंल राज्य जिस को बाद में उत्तराखण्ड किया गया वह 09.11.2000 के अस्तित्व में आया। महोदय उत्तर प्रदेश शासन में उर्दू में रोजी रोटी से जोडने सम्बन्धी समसख्यक शासनादेश संख्या 80सी0एम0/47–का4–94–10/10/10/94 जो कि उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक वेतनमान रूप्ये 950–1500 के पदों की नियुक्ति के सम्बध था। उक्त शासनादेश द्वारा मण्डल स्तर कार्यालय जिला स्तर कार्यालय बुन्देलखण्ड, कुमाउं, गढवाल मण्डलों में नियुक्तियां नही थी। शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है। दिनांक 03.05.1995 में इसी कम में उत्तर प्रदेश का शासन द्वारा जारी शासनादेश 80सी0एम0/47–का4–94–10/10/10/94 दिनांक 03.05.1995 में जारी किया गया है उक्त आदेश द्वारा यह स्पष्ट लिखा है कि "यदि विभाग में कनिष्ठ लिपित का पद रिक्त है तो प्रश्नगत् नियुक्ति ऐसे रिक्त पद की आस्थिगित करते हुए की जायेगी। यदि कनिष्ठ लिपिक भी कोई विद्यमान न हो तो भी नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पद में प्रति की जोयगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो दिनांक 28.02.1996 अथवा कार्यालय में होने वाली प्रथम कनिष्ठ लिपिक की रिक्ति ने दिनांक तक जो पहले ही सृजित रहेगा व तत्पश्चात स्वमेव समाप्त हो जायेगा।

यह कि उत्तर प्रदेश शासन में मिली भगत कर जो भी उर्दृ अनुवादक जिला स्तर मण्डल स्तर मण्डल आयुक्त कार्यालय, प्रदेश में विभागध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, जिला अधिकारी कार्यालय तहसील कार्यालय विकास खण्ड कार्यालय समस्त मण्डलों थाना समस्त मण्डलों में नियुक्तियां हुई वे सब 28.02.1996 के बाद भी जारी रही है जबकि वह 28.02.1996 को स्वमेव समाप्त हो गई थी। ऐसे कर्मचारी नौकरी से हटाने के विरूद्ध उच्च न्यायालय से स्थागन लेकर आ गया था परन्तु जो कि स्वतः ही समाप्त हो गया था लेकिन कर्मचारी आज भी कार्य कर रहा है। इस प्रकार की नियुक्तियां पुलिस विभाग में तथा जिलाधिकारी स्तर के कार्यालय

Scanned with OKEN Scanner

में भी कार्य कर रहे हैं, जबकि उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश भी काफी अर्से पूर्व समाप्त हो चुका है।

महोदय पिछले एक सप्ताह से दूरभाष एवं टीवी रेडियों आदि पर उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के चयन सम्बन्धी भ्रष्टाचार के विषयों में समाचार प्रसारित हुए उस विषय में राज्य सरकार ने अन्वेषण हेतु एस0टी0एफ0 की नियुक्ति की तथा इस प्रकार की नियक्तियों में पुलिस विभाग में जिला स्तर कार्यालय कार्य कर रहे हैं। **पुलिस विभाग, जिला कार्यालय पुलिस मुख्यालय से मांगी गई सूचना की प्रति संलग्न है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 28.02.1996 को सेवाये समाप्त कर दी गई हैं।**

महोदय उत्तराखण्ड शासन में भी काफी कर्मचारी नौकरी कर रहे है तथा जब शासन इस विषय में सूचना मांगी गइ तो उन के द्वारा सूचित किया यह प्रकरण उत्तराखण्ड गठन से पूर्व का है इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नही है। **प्रति संलग्न है।**

महोदय उत्तराखण्ड शासन में अधिकारी एवं भ्रष्ठ कर्मचारी मिली भगत राज्य को करोडा रूपयों की हानि पहूंचा रहे है, जबकि उन की सेवा में रहने की कोई अधिकार नही है। परन्तु गैर कानूनी रूप में नौकरी कर रहे हैं।

महोदय प्रार्थी ने इस विषय में उत्तराखण्ड से भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगी तो उन्होनें कहा कि उपरोक्त आदेश उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व के हैं अतः आप उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी फोटो प्रति संलग्न की जा रही है। जिससे स्पष्ट है कि उर्दू अनुवादक अवैधानिक रूप से सेवा में रखे गये हैं।

प्रार्थी

दिनांकः 25.06.2020

(विकेश सिंह नेगी)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, चैम्बर सं0 1ए
निकट शहीद स्मारक, देहरादून।
मो0 9758222922

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल महोदय, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, देहरादून।
3. गृह सचिव, देहरादून।
4. आई0जी0 कार्मिक पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
5. डी0जी0पी0 उत्तराखण्ड पुलिस।
6. डी0आई0जी0 गढवाल।
7. एस0एस0पी0, देहरादून।
8. जिलाधिकारी देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या–48–सूचना/2020–का–4–2020
लखनऊ : दिनांक : २१ मई, 2020

श्री विकेश सिंह नेगी एडवोकेट,
सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड,
चैम्बर नं0–1 ए,निकट शहीद स्मारक,
देहरादून,उत्तराखण्ड। २५८००१

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से प्राप्त, सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अपने पत्र दिनांक 20.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त पत्र में वांछित सूचना के संबंध में, कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–80–सी0एम/47–का–4–94–15/10/94, दिनांक 03.02.1995 एव शासनादेश संख्या–80–सी0एम/47–का–4–94–15/10/94, दिनांक 20.08.1994 की प्रतियां आपको प्रेषित हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

(रवीन्द्र नाथ)
अनुभाग अधिकारी/
जन सूचना अधिकारी।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 80 सी०एम/47-का—4-94-15/10/94

प्रेषक,

श्री आर० बी० भास्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
2—प्रदेश के विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊ, दिनांक 20 अगस्त, 1994।

विषय :—उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक (वेतनमान रुपये 950—1500) के पदों पर नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-4

उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ने संबंधी समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 1994 के क्रम में राज्यपाल महोदय, सम्यक् विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय, प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, मण्डल स्तर तथा जिला स्तर के प्रत्येक कार्यालय में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक का एक-एक पद सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

कार्यालय	पदों की संख्या
(1) प्रदेश के विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष (संलग्नक I व II)	106
(2) मण्डल आयुक्त कार्यालय (संलग्नक-III)	13
*(3) मण्डल स्तरीय कार्यालय (संलग्नक-III) [33×10]	330
(4) जिलाधिकारी कार्यालय (संलग्नक-IV)	65
*(5) जिला स्तरीय कार्यालय (संलग्नक-IV) [37×52]	1924
(6) तहसील (संलग्नक-IV)	294
(7) विकास खण्ड समस्त मण्डलों में (संलग्नक-IV)	897
(8) थाना समस्त मण्डलों में (संलग्नक-IV)	1432
योग :	5061

*(बुन्देलखंड, कुमायूं, गढ़वाल मण्डलों में क्रमांक-3 व 5 पर अंकित कार्यालयों में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक की नियुक्तियां नहीं की जायेंगी)।

उपर्युक्तानुसार संलग्न सूची में अंकित प्रत्येक कार्यालय में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक का एक-एक पद निम्न शर्तों के अधीन सृजित करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) उन कार्यालयों में जहां वेतनमान रुपये 950—20—1150—द० रो०—25—1500 में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त हो, उस रिक्त पद को समर्पित करते हुए, इसी वेतनमान रुपये 950—20—1150—द० रो०—25—1500 में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद में परिवर्तित करते हुये नियुक्ति की जाय।

(2) जिन कार्यालयों में वेतनमान रुपये 950—1500 में कनिष्ठ लिपिक का पद सम्प्रति रिक्त न हो, उन कार्यालयों में सेवा निवृत्ति, प्रोन्नति या

अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाली कनिष्ठ लिपिक की प्रथम रिक्ति उपरोक्तानुसार आस्थगित करते हुये उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति की जाये।

(3) इन नियुक्तियों में अनावश्यक विलम्ब न हो, इस उद्देश्य से कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद को आस्थगित रखते हुये उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद में परिवर्तित करने का अधिकार जिला/मण्डल/राज्य स्तर के सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को प्रतिनिधानित किये जाते हैं।

(4) उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के उपर्युक्तानुसार आस्थगन/परिवर्तन द्वारा नव सृजित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी वही होंगे, जो कनिष्ठ लिपिक पद के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, तथा इन पदों पर होने वाला व्यय उसी अनुदान/लेखा शीर्षक से वहन किया जायेगा, जिसमें इसके पूर्व प्रतिपादित होने वाले पद का व्यय वहन किया जा रहा था।

(5) उपर्युक्तानुसार समस्त नियुक्तियाँ एक अभियान चलाकर, तीन माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायें। इन आदेशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये निम्नवत् नोडल अधिकारियों को नामित किया जाता है :—

(1) राज्य स्तर पर — सचिव, कार्मिक।
(2) मण्डल स्तर पर — मण्डलायुक्त।
(3) जिला स्तर पर — जिलाधिकारी।

(6) सभी सम्बन्धित से यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल सचिव, कार्मिक को प्रेषित करेंगे।

(7) उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक पदों की सेवा शर्तों/चयन प्रक्रिया विषयक अभिभावी नियमावली पृथक से जारी की जा रही है।

(8) यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-5-1816/दस-94, दिनांक 18-8-94 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीय,
आर० वी० भास्कर,
सचिव।

संख्या 30 सी एम/47-का-4—94-15-10-1994, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) समस्त मण्डलायुक्त।
(2) समस्त जिलाधिकारी।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) प्रमुख सचिव, गृह, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रदेश के 1432 थानों में एक-एक पद पर उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद सृजन/नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करायें।

आज्ञा से,
के० एम० लाल,
विशेष सचिव।

संख्या–80-सी०एम/47–का–4–94–15/10/94

प्रेषक,

श्री आर० बी० भाष्कर,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०,

3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र०

लखनऊः दिनांक 3 फरवरी, 1995।

विषयः— उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक (वेतनमान रुपये 950–1500) के पदों पर नियुक्तियाँ किया जाना।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-4

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 1994 के द्वारा उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के 5061 पदों पर नियुक्ति किए जाने हेतु आदेश, इस शर्त के साथ जारी किए गये थे कि जहाँ कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त हो वहाँ उक्त पद को आस्थगित करते हुए उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की जाए, जहाँ कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त न हो वहाँ सेवा निवृत्ति, प्रोन्नति अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाली कनिष्ठ लिपिक की प्रथम रिक्ति को आस्थगित करते हुए उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की जाए। उपर्युक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :—

> "यदि विभाग में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त है तो प्रश्नगत नियुक्ति ऐसे रिक्त पद को आस्थगित करते हुए की जायेगी। यदि कनिष्ठ लिपिक की कोई रिक्ति विद्यमान न हो तो भी नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो दिनांक 28-2-96 अथवा कार्यालय में होने वाली प्रथम कनिष्ठ लिपिक की रिक्ति के दिनांक तक, जो पहले हो सृजित रहेगा व तत्पश्चात् स्वमेव समाप्त हो जायेगा। यदि आवश्यकता हुई तो उपरोक्त तिथि के बाद भी इन्हें बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, यह अधिसंख्य पद उन्हीं, विभागों में सृजित होगें जहाँ कनिष्ठ लिपिक के पद पहले से विद्यमान हों जिनके भविष्य में रिक्त होने की सम्भावना हो।"

2—कृपया उपर्युक्त निर्देशानुसार उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर चयन/नियुक्ति संबंधी समस्त कार्यवाही विलम्बतम दिनांक 15 फरवरी, 1995 तक पूर्ण कर, चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश प्रत्येक दशा में दिनांक 20 फरवरी, 1995 तक जारी कर दिए जाएं। उपर्युक्तानुसार कृत कार्यवाही की सूचना कार्मिक विभाग को दिनांक 28 फरवरी, 1995 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

3—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–5-238/दस–95, दिनांक 3-2-1995 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

आर० बी० भाष्कर,

सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड।
पत्रांकः--लो0सू0प्र0ः–2039/2019 दिनांकः–फरवरी, 12,2020

सेवा में,

श्री विकेश सिंह नेगी, एडवोकेट
सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, चै0नं0 1ए,
निकट शहीद स्मारक, देहरादून।

कृपया अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित अपने अनुरोध पत्र दिनांक 25.01.2020 जो इस कार्यालय में दिनांक 27.01.2020 को प्राप्त हुआ है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में **प्रधानलिपिक/सहायक, पुलिस कार्यालय, जनपद देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित 01 वर्क।

उक्त सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्राप्त सूचना में कुछ अंश पढने में नहीं आ रहा है, जिसके सम्बन्ध में कभी भी कार्य दिवस में कार्यालय में आकर सुनिश्चित कर सकते है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपीलीय विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिनका पता नीचे दिया गया है पर अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते है।

संलग्नः–यथोपरि।

12/02

लोक सूचना अधिकारी/
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)
जनपद देहरादून।

<u>अपीलीय अधिकारी का पताः–</u>
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी/
पुलिस महानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

लोक सूचना अधिकारी/
अपर पुलिस अधीक्षक,ग्रामीण,
देहरादून।

कृपया आप अपने पत्र संख्याः लो0सू0पु0–2039/19 दिनांक 27–01–2020 का अवलोकन करने की कृपा करें जो आवेदक विकेश सिंह नेगी के आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना पर बिन्दुवार आंख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना बिन्दवार संलग्न है।

1. बिन्दू संख्या 01 के सम्बन्ध में संदर्भित शासनादेश धारित नही है।
2. बिन्दू संख्या 02 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला देहरादून में नियुक्ति की गयी सूचीवार/संख्या की सूचना संलग्न है। वर्तमान में जनपद में अन्य जनपदों से स्थानान्तरण पर आये उर्दू अनुवादक कान्स0 (एम0) के पद पर कार्यरत है।

पत्रांकः व–14/2020
दिनांकः फरवरी 7,2020

प्रधान लिपिक/सहायक,
लोक सूचना अधिकारी
पुलिस कार्यालय देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

608 607

(12)

प्रेषक:- जिलाधिकारी,
देहरादून

सेवा में, पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

पत्रांक: 1676/एस0सी0/उर्दू अनुवादक-95 दिनांक: 22-2-95

विषय: उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक वेतनमान 950-1500रू0 के पदों पर नियुक्ति के संबंध में।

x=x=x=x=x=x=x=xx=x=x=

महोदय,

शासनादेश संख्या 80सी0एम0/47-का-4-94-15/10/94 दिनांक 3-2-95 में यह प्राविधान किया गया है कि जिन कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक का पद समाप्ति रिक्त नहीं हैं। इनमें पद सृजित मानकर तुरन्त उर्दू अनुवादकों सह कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति की जानी है। सुलभ संदर्भ हेतु शासनादेश की छाया प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि शासनादेश संख्या 726-आ/47-का-4-94-15/10/94 दिनांक 20-8-94 एवं 10/94 दिनांक 9-9-94 व 80सी0एम0-का-4-94-10/94 दिनांक 3-2-95 के प्राविधानों का अनुपालन 80सी0एम0/47-का-4-94-15/10/94 दिनांक 3-2-95 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु नामांकन कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

टिप्पणी

क्र.सं.	रोलनम्बर	पंजीयनसंख्या	अभ्यर्थीका नाम व पता	जन्मतिथि	वर्ग
[illegible]	05	4810/94	मुहम्मद [illegible] पुत्र श्री [illegible]	5.1.1.73	सामान्य

[illegible]

क्र. सं.	रोलनम्बर	पंजीयन संख्या	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्मतिथि	वर्ग
7-	46	सी-4903/92	सैयद सिकन्दर हैदर पुत्रश्री सैयद करार हैदर, द्वारा सैयद हैदरअब्बास नकवी डी-1; आशियार कालोनी रेस कोर्स देहरादून	30. 6. 64	सामान्य
8-	37	सी-5686/91	अब्दुल सुभान पुत्रश्री अमीर अहमद, द्वारा सईद अहमद, मजाहिरी गली मुहम्मद नया नगर 26, गाँधी रोड देहरादून	5. 7. 71	पि0जा0
9-	81	सी-3267/94	तनवीर अहमद पुत्रश्री हयातुल्ला, म0नं0927 (एम. आई. जी. (इन्द्रा कालोनी, देहरादून	12. 5. 58	पिजा0
10-	17	5717/92	सलीम अहमद पुत्र श्री लतीफ अहमद मौ0नागाम कस्बा अम्बेहटा पीर जिला सहारनपुर	1. 7. 71	पि0जा0
11-	28	सी-8175/91	जाकिर हुसैन पुत्रश्री मकसूद अली ग्रा0 भुड्डी पो0 कारबारी जिला देहरादून	8. 5. 71	पि0जा0

शासनादेश में स्पष्ट निर्देश है कि यदि कनिष्ठ लिपिक की कोई रिक्ति विद्यमान नहीं हो तो भी नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पद के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया जायेगा और जो दिनांक 28-2-9[illegible] अथवा कार्यालय में होने वाली प्रथम कनिष्ठ लिपिक की रिक्ति के दिनांक तक-जो पहले सृजित रहेगा, तत्पश्चात स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कृपया उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में नियुक्तियां कर सूचित करने का कष्ट करें जिससे शासन को तदनुसार सूचित किया जा सके। अभ्यर्थियों के विवरण शासन द्वारा आरक्षण कोटा के अनुसार ही प्रेषित किये गये हैं।

[illegible]

4551

अनुरोधकर्ता को सूचना देने का प्रपत्र

समयबद्ध/आज ही

मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड

12-सुभाष रोड, देहरादून।

(दूरभाष सं0 0135-2712685, फैक्स नं0- 2712080, E.mail-dgc-police-ua@nic.in)

पत्रांकः पु0मु0/लो0सू0-529/2019

सेवा में,

दिनांकः फरवरी ,2020

श्री विकेश सिंह नेगी(एडवोकेट),
सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, चैम्बर सं0-1ए,
निकट शहीद स्मारक,
जिला- देहरादून।

(रजि डाक)

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त आप अपने सूचना अनुरोध पत्र दिनांकः **25/01/2020** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आपके उक्त सूचना अनुरोध पत्र में आवेदित पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून सम्बन्धी सूचनायें बिन्दुवार निम्नवत् हैः-

बिन्दु संख्याः01- अवगत करना है कि शासनादेश संख्याः 80सी0एम0/47-क-94-15-10-94, दिनांकः 20/08/1994, द्वारा उर्दू अनुवादकों के पदों के सृजन का शासनादेश निर्गत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। आवेदन पत्र में अंकित शासनादेश दिनांकः 03/02/1995 से सम्बन्धित उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति विषयक शासनादेश उपलब्ध नही है। सूचना पुलिस मुख्यालय की अभिरक्षा/नियंत्रण में धारित/उपलब्ध नही होने के कारण शून्य में प्रेषित है।

बिन्दु संख्याः02- अवगत करना है कि वर्तमान में पुलिस मुख्यायलय में कोई उर्दू अनुवादक नियुक्त नही है। सूचना शून्य में प्रेषित है।

यदि आप उक्त सूचना से संतुष्ट नही हो, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी/पुलिस महानिरीक्षक (अप0/का0व्य0), पुलिस मुख्यालय, 12-सुभाष रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष अधिनियमानुसार प्रथम अपील पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

13/02/2020

(एन0 एस0 नपलच्याल)
लोक सूचना अधिकारी/
पुलिस उपमहानिरीक्षक(फायर/कार्मिक),
पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

1403/5

संख्या: 80 सी. एम. /47-का-4-94-15-10-94

प्रेषक,

श्री आर. पी. भास्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1-शासन के समस्त प्रमुख सचिव, /सचिव,
2-प्रदेश के विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।

कार्मिक अनुभाग-4,

लखनऊ: दिनांक 20, अगस्त, 1994

विषय: उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक (वेतनमान रु0 950-1500) के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ने सम्बन्धी का संख्यक शासनादेश दिनांक 24-3-94 के क्रम में राज्यपाल महोदय, सम्यक विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय, प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, मण्डल स्तर तथा जिला स्तर के प्रत्येक कार्यालय में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक को एक-एक पद सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

	कार्यालय		पदों की संख्या
1-	प्रदेश के विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष (संलग्नक I व II)		106
(1)	मण्डल आयुक्त कार्यालय (संलग्नक-III)		13
(3)	मण्डल स्तरीय कार्यालय (संलग्न-III) (33×10)		330
(4)	जिलाधिकारी कार्यालय (संलग्नक:		65
(5)	जिला स्तरीय कार्यालय (संलग्नक:	37×52)	1924
(6)	तहसील (संलग्नक:)		294
(7)	विकास खण्ड समस्त मण्डलों में (संलग्नक:)		897
(8)	थाना समस्त मण्डलों में (संलग्नक:		1432
		योग=	5061

बुन्देलखण्ड, कुमायूं, गढ़वाल मण्डलों में क्रमांक-3 व 5 पर अंकित कार्यालयों में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक की नियुक्तियां नहीं की जायेगी ।

उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय RTI देहरादून

..2/-

उपर्युक्तानुसार संलग्न सूची में अंकित प्रत्येक कार्यालय में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक का एक-एक पद निम्न शर्तों के अधीन सृजित करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

¥1¥ उन कार्यालयों में जहां वेतनमान रूपये 950-20-1150-द0रो0-25-1500 में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त हो, उस रिक्त पद को आस्थगित करते हुये, इसी वेतनमान रूपयें 950-20-1150-द0रो0-25-100 में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद में परिवर्तित करते हुये नियुक्ति की जाय।

¥2¥. जिन कार्यालयों में वेतनमान रु0 950-1500 में कनिष्ठ लिपिक का पद सम्प्रति रिक्त न हो, उन कार्यालयों में सेवा निवृत्त, प्रोन्नति या अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाली कनिष्ठ लिपिक की प्रथम रिक्ति उपरोक्तानुसार आस्थगित करते हुये उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति की जाये।

¥3¥ इन नियुक्तियों में अनावश्यक विलम्ब न हो, इस उद्देश्य से कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद को आस्थगित रखते हुये उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद में परिवर्तित करने का अधिकार जिला/मण्डल/राज्य स्तर के सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को प्रतिनिधानित किये जाते हैं।

¥4¥ उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के उपर्युक्तानुसार आस्थगन/परिवर्तन द्वारा नव सृजित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी वही होंगे, जो कनिष्ठ लिपिक पद के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, तथा इन पदों पर होने वाला व्यय उसी अनुदान/लेखा शीर्षक से वहन किया जायेगा, जिसमें इसके पूर्व प्रतिपादित होने वाले पद का व्यय वहन किया जा रहा था।

¥5¥ उपर्युक्तानुसार समस्त नियुक्तियाँ एक अभियान चलाकर, तीन माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायें। इन आदेशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये निम्नवत् नोडल अधिकारियों को नामित किया जाता है।

¥1¥ राज्य स्तर पर - सचिव, कार्मिक।
¥2¥ मण्डल स्तर पर - मण्डलायुक्त।
¥3¥ जिला स्तर पर - जिलाधिकारी।

¥6¥. सभी संबंधित से यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल सचिव, कार्मिक को प्रेषित करेंगे।

¥7¥. उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक पदों की सेवा शर्तों/चयन प्रक्रिया विषयक अधिप्राप्ति नियमावली पृथक से जारी की जा रही है।

...3/-

RTI

Kw3/5

(8) यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-5-1816/दस-94 दिनांक 18-8-94 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
(आर.वी. भास्कर)
[illegible]

--

संख्या: 80 सी.एम.(1)/47-का-4-94-15/10/94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त।

2- समस्त जिलाधिकारी।

3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4- प्रमुख सचिव, गृह को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रदेश के 1432 थानों में एक-एक पद पर उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद सृजन/नियुक्ति संबंधी कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करायें।

आज्ञा से,

ह0/-
(डी.एस. लाल)
विशेष सचिव।

--

उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून RTI

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः–28 / आर0टी0आई / का0एवं स0–2 / 2020
देहरादूनः दिनांक 10 फरवरी, 2020

श्री विकेश सिंह नेगी,
एडवोकेट,
सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, चैम्बर सं0 1ए,
निकट शहीद स्मारक, देहरादून।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपने अनुरोध पत्र दिनांक 25.01.2020 जो सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र दिनांक 28 जनवरी, 2020 के माध्यम से अंतरित होकर लोक सूचना अधिकारी, कार्मिक एंव सतर्कता अनुभाग–2 को दिनांक 29.01.2020 को प्राप्त हुआ है कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आपके द्वारा वांछित बिन्दुओं की सूचना जिस रूप में वांछित है उस रूप में इस कार्यालय में धारित नहीं है। सूचना उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व की उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बंधित है। कृपया आप उक्त सूचना उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त करने का कष्ट करें।

2– उक्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में आप निम्नलिखित पते पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्धारित समयान्तर्गत अपील कर सकते हैंः–

श्री एस0एस0 वल्दिया,
प्रथम अपीलीय अधिकारी / अपर सचिव,
कार्मिक विभाग–2
प्रथम तल, विश्वकर्मा भवन,
सचिवालय परिसर,
उत्तराखण्ड सचिवालय,
04 सुभाष रोड़, देहरादून–248001

संलग्नकः यथोक्त

(सन्दीप शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी

संख्या / आ0टी0आई0 / का0एवं स0–2 / 2019 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांक 28 जनवरी, 2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(सन्दीप शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या– 109 /प्रशा0अधि0–स्थापना–सू0का0अधि0–2005/2019–20 दिनांक 10 फरवरी ~~जनवरी~~ 2020

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना का प्रेषण।

सेवामें,

लोक सूचना अधिकारी/
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट देहरादून।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1093/वि0लि0–सू0का0अ0अधि0–2005/2020 दिनांक 25.01.2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 27.01.2020 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, अनुरोधकर्ता श्री विकेश सिंह नेगी एडवोकेट सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड चै0 नं0 1ए, निकट–शहीद स्मारक देहरादून के अनुरोध पत्र दिनांक 25.01.2020 मांगी गयी सूचना बिन्दु संख्या 01 व 02 के सम्बन्ध मे है, जिसकी सूचना निम्न प्रकार से हैः–

बिन्दु संख्या–01, में मांगी गयी सूचना की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
बिन्दु संख्या–02 में मांगी गयी सूचना की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना)
कलेक्ट्रेट देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

जिलाधिकारी
11 FEB 1995
देहरादून

(55)

471

संख्या-3090/एस/47-का-4-94-15/10/94

प्रेषक,

श्री आर०बी०भास्कर,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0
3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 3 फरवरी, 1995

विषय:- उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक (वेतनमान रुपये-950-1500) के पदों पर नियुक्तियाँ किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक तत्संबंधी शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 1994 के द्वारा उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के 5061 पदों पर नियुक्ति किए जाने हेतु आदेश, इस शर्त के साथ जारी किए गये थे कि जहाँ कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त हो वहाँ उक्त पद को आस्थगित करते हुए उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की जाए, जहाँ कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त न हो वहाँ सेवानिवृत्ति, प्रोन्नति अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाली कनिष्ठ लिपिक की प्रथम रिक्ति को आस्थगित करते हुए उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की जाए। उपर्युक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है:-

"यदि विभाग में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त है तो प्रत्येक नियुक्ति ऐसे रिक्त पद को आस्थगित करते हुए की जायेगी। यदि कनिष्ठ लिपिक की कोई रिक्ति विद्यमान न हो तो भी नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य (सुपरन्यूमेरेरी) पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो दिनांक 28-2-96 अथवा कार्यालय में होने वाली प्रथम कनिष्ठ लिपिक की रिक्ति के दिनांक तक, जो पहले हो सृजित रहेगा व तत्पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगा। यदि आवश्यकता हुई तो उपरोक्त तिथि के बाद भी इन्हें बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, यह अधिसंख्य पद उन्हीं विभागों में सृजित होंगे जहाँ कनिष्ठ लिपिक के पद पहले

सत्यापित
AO

से विद्यमान हों जिनके भविष्य में रिक्त होने की सम्भावना हो ।"

2- कृपया उपर्युक्त निर्देशानुसार उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर चयन/नियुक्ति संबंधी समस्त कार्यवाही विलम्बतम दिनांक 15 फरवरी, 1995 तक पूर्ण कर, चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश प्रत्येक दशा में दिनांक 20 फरवरी, 1995 तक जारी कर दिए जाँय । उपर्युक्तानुसार कृत कार्यवाही की सूचना कार्मिक विभाग को दिनांक 28 फरवरी, 1995 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5/238/दस-95, दिनांक 3-2-1995 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर0बी0भास्कर)
सचिव

संख्या-80ली.एम.(1)/47-का-4-94-15/10/94/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग को इस अनुरोध के साथ कि प्रदेश के समस्त पुलिस थानों आदि में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही समय से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

2- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(आर0बी0भास्कर)
सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून
संख्या/ [illegible] -24 (93-96) जा0लि0 दिनांक 18-2-95
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
2- मुख्य विकास अधिकारी दे0 -
3- समस्त उपजिलाधिकारी दे0
4- अपर निदेशक (प्रशिक्षण), पर्यटन निदेशालय [illegible] देहरादून।

(ह0) 18/2/95
[illegible]
देहरादून।

संख्या- 726आ: 47/का-4-15/10/94

प्रेषक,

श्री आर.बी. भास्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 09 सितम्बर, 1994

विषय:-उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्ति किया जाना ।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-80 सी एम/47-का-4-94-15/10/94 दिनांक 20.8.94 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सरकारी कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक के एक रिक्त पद को आस्थगित करते हुए उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद सृजन सम्बन्धी आदेश पारित किये गये हैं ।

2- उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति सम्बन्धी नियमावली का उल्लेख किया गया था । उक्त नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है, जो पत्र के साथ संलग्नक-1 पर प्रेषित है । उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही संलग्न नियमावली के प्राविधानों के अनुसार की जानी है ।

3- संलग्न नियमावली के प्राविधानों के अतिरिक्त उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त भी शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं :-

।अ। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20.8.94 के अनुरूप सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में नियुक्ति हेतु उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के कुल पदों की संख्या अवधारित कर ली जाय ।

।ब। नियमावली के प्रस्तर-16 के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा विज्ञापन जारी किया जाना है/सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे जाने हैं । समस्त जनपदों में एकरूपता बनाने के दृष्टिकोण से समाचार पत्रों में जारी किये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्नक-2 के रूप में प्रेषित है । कृपया संलग्न प्रारूप के अनुसार विज्ञापन जारी करें एवं सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगा लें ।

।स। अपने जनपदों के समस्त पदों के लिए एक ही लिखित परीक्षा अपनी देख-रेख में आयोजित करालें ।

-2

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

(द) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर जनपद में होने वाली [illegible] की संख्या के बराबर मेरिट पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर लें तथा [illegible] रिक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक की प्रतीक्षा सूची भी [illegible] लें।

(य) अपने जनपद के समस्त कार्यालयों से कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों की सूचना [illegible] करके चयनित अभ्यर्थियों को वरिष्ठताक्रम में विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति हेतु उपलब्ध करा दें एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्दिष्ट कर दें कि वह उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20.8.94 एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद को आस्थगित/परिवर्तित करके उपलब्ध कराये गए अभ्यर्थी को उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करें।

(र) जहाँ वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त नहीं है, उन विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दें कि जैसे ही कनिष्ठ लिपिक पद की प्रथम रिक्ति उपलब्ध हो, वैसे ही उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्ति की सूचना वह आपको प्रेषित करें और चयनित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने की माँग कर लें। माँग प्राप्त होते ही चयनित अभ्यर्थियों में से वरिष्ठता क्रम के अनुसार नियुक्ति हेतु उस कार्यालय को अभ्यर्थी उपलब्ध करा दिया जाय।

4. नियमावली के नियम-11 में यह प्राविधान किया गया है कि प्रश्नगत पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट उर्दू या उसके समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक योग्यता होगी। शैक्षिक योग्यता की समकक्षता संलग्नक-3 के अनुसार होगी।

5- अपने जनपद में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गई नियुक्तियों के बारे में संलग्नक-4 पर दिए गए प्रारूप पर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अद्यावधिक स्थिति की सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. कृपया अभियान के रूप में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए शासन की प्रतिबद्धता के अनुरूप उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर अपने जनपद में आगामी 3 माह में नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर०बी० भास्कर)
सचिव।

संख्या- 7263/47-का-4/94-15/10/94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/मण्डलायुक्त।

आज्ञा से,

(आर०बी० भास्कर)
सचिव।

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

जिला कार्यालय देहरादून में कार्यरत उर्दू अनुवादको की सूची

क्रम सं0	कर्मचारियों के नाम	वर्तमान गेड–पे में कार्यरत	पदनाम	वर्तमान मे कार्यरत
1	श्रीमती कमर गजाला	2000—00	उर्दू अनुवादक / सह कनिष्ठ लिपिक	उर्दू अनुवादक
2	श्रीमती अंजुमन जैदी	2000—00	उर्दू अनुवादक / सह कनिष्ठ लिपिक	उर्दू अनुवादक
3	श्रीमती गैहरबानो	2000—00	उर्दू अनुवादक / सह कनिष्ठ लिपिक	उर्दू अनुवादक
4	श्री इमांम खान	2000—00	उर्दू अनुवादक / सह कनिष्ठ लिपिक	उर्दू अनुवादक

प्रशासनिक अधिकारी(स्थापना)
कलेक्ट्रेट देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या: 80सी0एम0/47-का-4-

संलग्नक-3

प्रेषक,

श्री आर0 डी0 भास्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
2. प्रदेश के विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 1994

विषय: उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक (वेतनमान रूपये 950-1500) के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ने सम्बन्धी समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24-3-94 के क्रम में राज्य पाल महोदय, सम्यक विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार विभागाध्यक्ष, कार्यालय, प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, मण्डल स्तर तथा जिला स्तर के प्रत्येक कार्यालय में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक का एक-एक पद सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

	कार्यालय	पदों की संख्या
1-	प्रदेश के विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष (संलग्नक । व ।।)	106
(2)	मण्डल आयुक्त कार्यालय (संलग्नक-।।।)	13
(3)	मण्डल स्तरीय कार्यालय (संलग्नक-।।।) (33x10)	330
(4)	जिलाधिकारी कार्यालय (संलग्नक-IV)	65
(5)	जिला स्तरीय कार्यालय (संलग्नक-IV) 37x52)	1924
(6)	तहसील (संलग्नक IV)	294
(7)	विकास खण्ड समस्त मण्डलों में (संलग्नक-IV)	897
(8)	थाना समस्त मण्डलों में (संलग्नक-IV)	1432
	योग	5061

बुन्देलखण्ड, कुमायूँ, गढवाल मण्डलों में क्रमांक-3 व 5 पर अंकित कार्यालयों में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक की नियुक्तियां नहीं की जायेगी ।

उपर्युक्तानुसार संलग्न सूची में अंकित प्रत्येक कार्यालय में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक का एक-एक पद निम्न शर्तों के अधीन सृजित करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उन कार्यालयों में जहां वेतनमान रूपये 950-20-1150-द0रो0-25-1500 में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त हो, उस रिक्त पद को आस्थगित करते हुए, इसे वेतनमान रूपये 950-20-1150-द0रो0-25-1500 में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद में परिवर्तित करते हुए नियुक्ति की जाय ।

(2) जिन कार्यालयों में वेतनमान रूपये 950-1500 में कनिष्ठ लिपिक का पद सम्प्रति रिक्त न हो, उन कार्यालयों में सेवा निवृत्ति, प्रोन्नति या अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाली कनिष्ठ लिपिक की प्रथम रिक्ति उपरोक्तानुसार आस्थगित करते हुए उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति की जाये।

.......2

Scanned with OKEN Scanner

(3) इन नियुक्तियों में अनावश्यक विलम्ब न हो, इस उद्देश्य से कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद को आस्थगित रखते हुए उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद में परिवर्तित करने का अधिकार जिला/मण्डल/राज्य स्तर से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को प्रतिनिधानित किये जाते हैं।

(4) उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के उपर्युक्तानुसार आस्थगन/परिवर्तन द्वारा नव सृजित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी वही होंगे, जो कनिष्ठ लिपिक पद के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, तथा इन पदों पर होने वाला व्यय उसी अनुदान/लेखा शीर्षक से वहन किया जायेगा, जिसमें इसके पूर्व प्रतिपादित होने वाले पद का व्यय वहन किया जा रहा था।

(5) उपर्युक्तानुसार समस्त नियुक्तियां एक अभियान चलाकर, तीन माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायें। इन आदेशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नवत नोडल अधिकारियों को नामित किया जाता है :-

(1) राज्य स्तर पर - सचिव, कार्मिक।
(2) मण्डल स्तर पर - मण्डलायुक्त।
(3) जिला स्तर पर - जिलाधिकारी।

(6) सभी सम्बन्धित सह यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल सचिव, कार्मिक को प्रेषित करेंगे।

(7) उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक पदों की सेवा शर्तों/चयन प्रक्रिया विषयक अधिभावी नियमावली पृथक से जारी की जा रही है।

(8) यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-5-1816/दस-94, दिनांक 18-8-94 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/
(आर0 वी0 भास्कर)
सचिव।

संख्या:: 80सी0एम0(1)/47-का-4-15/10/94 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त, मण्डलायुक्त।
2- समस्त जिलाधिकारी।
3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4- प्रमुख सचिव, गृह को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रदेश के 1432 थानों में एक-एक पद पर उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद सृजन/नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करायें।

आज्ञा से,
ह0/
(के0 एम0 लाल)
विशेष सचिव।

Annex-4

(1)

(25)

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश

संख्या 535/S.T. /चौदह-128/इला0/दिनांक/फरवरी, 28, 1996.

इस विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों में नियुक्त उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक जिन्हें अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पद के प्रति पूर्णतः तदर्थ एवं अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.1996 तक के लिए शासनादेश संख्या 80सी.एम./47-का-4-94-10/10/94 दिनांक 20.8.1994 के निर्देशों के विपरीत नियुक्त किया गया है, की सेवायें दिनांक 28.2.96 के अपरान्ह से समाप्त की जाती है :--

क्रमांक	नाम	कार्यालय का नाम जहाँ नियुक्त है
	सर्वश्री/-	
1-	श्रीमती माया देवी	जिला आबकारी अधिकारी, बांदा
2-	सैयद कासिम रजा अब्बास आबिदी	जिला आबकारी अधिकारी, झांसी
3-	शुजाअत हुसैन	जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून
4-	श्रीमती रफीका बेगम	जिला आबकारी अधिकारी, ललितपुर
5-	श्रीमती राहिबा इकबाल	जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा

(कपिल देव)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश। 28/2/96

संख्या 536-47/S.T. /चौदह-128/इला0/दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- जिलाधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी, बांदा, झांसी, देहरादून, ललितपुर, अल्मोड़ा।
2- उप आबकारी आयुक्त, झांसी, देहरादून, नैनीताल।
3- संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा, देहरादून जोन।
4- आबकारी निरीक्षक, पर्सनल स्टाफ, मुख्यालय।

(कपिल देव)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

28/2/96

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

शासनादेश संख्या 60शा0एम0/47-का-4-94-15-10-94 दिनांक 3-2-95 के क्रम में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या ए-9498-9563/चौदह-128, दिनांक 20-2-95 के अन्तर्गत स्वीकृत उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक वेतनमान 950-20-1150-द0रो0-25-1500 में दिनांक 10-2-95 को चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी श्रीमती राहिबा इकबाल पत्नी स्व0 जाकिर अली द्वारा रईस अहमद पानवाले दुगालखोला, अल्मोड़ा [अल्प पिछड़ी जाति] को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में सृजित पद की रिक्ति के अन्तर्गत उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2- उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई रूप से दिनांक 28-2-96 तक सृजित पद के अन्तर्गत की जाती है।

3- उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर उक्त नियुक्ति इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 272/[एस0एस0]/95 [मनीश कुमार श्रीवास्तव प्रति उत्तर प्रदेश सरकार] में दिनांक 8-2-1995 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

4- श्रीमती राहिबा इकबाल को कार्यभार ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

5- यह नियुक्ति आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद के अनुमोदन की प्रत्याशा में दी गई है जाती है।

[हेमन्त कुमार]
जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोड़ा।

मार्च 15 1995।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा।
संख्या 184/पांच-5/94-95, दिनांक मार्च 15 1995

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके संख्या ए-9498-9563/चौदह-128, दिनांक 20-2-95 के संदर्भ में अनुमोदनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला अधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप आबकारी आयुक्त कुमाऊँ चार्ज नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि श्रीमती राहिबा इकबाल पत्नी स्व0 जाकिर अली द्वारा रईस अहमद पानवाले दुगालखोला अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी अल्मोड़ा द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाणपत्र तथा अल्प पिछड़ी जाति प्रमाणपत्र व शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करें।

AEC (P&E)
(कर्नल सिंह)
आबकारी आयुक्त
23-3-95

छाया प्रति प्रमाणित
(सोबन सिंह)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय आबकारी आयुक्त, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

सेवा, में,

जिला आबकारी ~~आयुक्त~~ अधिकारी
गढ़वालमंडल, देहरादून ।

पत्रांक:- 3043/उर्दू अनु0 सहकनिष्ट लि0/नियु0/94-95 दिनांक 11 अप्रैल
विषय:- उर्दू अनुवादक सह कनिष्ट लिपिक वेतनमान 950-1500 के पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी ।

= =

महोदय,

शासनादेश संख्या-80सीएम0/47-का-94-15/10/94 दिनांक 3-2-95 में यह प्राविधान किया गया है कि जिन कार्यालयों में लिपिक का पद सम्प्रति रिक्त नहीं है उनमें पद सृजित मानकर तुरन्त उर्दू अनुवादक सह कनिष्ट लिपिक की नियुक्ति कर दी जावें । जिसके लिए अभ्यर्थी का विवरण नियुक्ति हेतु निम्नवत प्रेषित किया जा रहा है ।

अतएव शासनादेश संख्या 723-आर/47-का-4-94/15/10/94 दिनांक 9-9-94 व 80 सीएम0/47-का-94/10/94 दिनांक 20-8-94 80सीएम0/47-का-94/10/94 दिनांक 3-2-95 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु नामांकन कर प्रेषित किया जा रहा है ।

क्र0सं0	रोलनं0 प्र0 जी0	अभ्यार्थी का नाम व पता	जन्मतिथि	वर्ग	अभ्युक्ति
1-	141 सी-6553/88	शुजाअत हुसैन पुत्र स्व0श्री बसारत हुसैन सी-93 एफ0आर0आई0 न्यूफारेस्ट देहरादून ।	6-1-69	सामान्य वर्ग	अनारक्षित वर्ग में चयन किया गया है ।

शासनादेश में स्पष्ट निर्देश है कि यदि कनिष्ट लिपिक की रिक्ति विद्यमान नही है तो भी नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य (सुपर न्यूमरेरी) पद के प्रति की जावेगी जिसे इस पद के लिये की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिये सृजित किया जायेगा और जो दिनांक 28-2-96 अथवा कार्यालय में होने वाली प्रथम कनिष्ट लिपिक की रिक्ति के दिनांक तक पहिले सृजित रहेगा, तत्पश्चात् स्वमेव समाप्त हो जावेगा । तथा उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में नियुक्ति प्रदान कर सूचित करने का कष्ट करें जिससे तदनुसार शासन को सूचित किया जा सके ।

उत्तरप्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-370/47-का-4-95 दिनांक 6 मार्च, 95 के अनुसार उर्दू अनुवादक सह कनिष्ट लिपिक के पदों पर जारी किये जाने नियुक्ति आदेशों में माननीय उच्च न्यायालयो में दायर रिट याचिकाओं में मा0उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय अधीन होगी का उल्लेख अवश्य कर दिया जायें ।

भवदीय

([illegible])
जिलाधिकारी
देहरादून

छाया प्रति प्रमाणित
(सोबन सिंह)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
6/5/1?

--2--

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-959/छ:पु०-1-137/94

मुमताज अहमद
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पुलिस अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: अप्रैल 17, 1995

विषय :- उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पत्र-संख्या-18-174-94 दिनांक 21-2-95 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-80सी०एम०/47-का-4-94-15/10/94 दिनांक 20 अगस्त, 1994 के अन्तर्गत पुलिस विभाग में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर तत्काल नियुक्ति हेतु कान्सटेबिल के पद वेतनमान रुपया-950-20-1150-द०रो०-25-1400 में विद्यमान 1515 पदों को आस्थगित रखते हुए उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के उतने ही अस्थायी पदों को वेतनमान रुपया-950-20-1150-द०रो०-25-1500 में श्री राज्यपाल महोदय उनके भरे जाने की तिथि से, जो इन आदेशों की तिथि से पहले की न होगी, 29 फरवरी, 1996 तक के लिए, बशर्ते कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के पहले समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह पद पुलिस रैंक के बाहर होंगे।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग के उन कार्यालयों में जहाँ कान्सटेबिल के पद रिक्त हों, उन रिक्त पदों को आस्थगित कर उन्हें उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर परिवर्तित करते हुये नियुक्तियां की जायें। यदि किसी कार्यालय में कान्सटेबिल की कोई रिक्ति विद्यमान न हो तो भी उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति करके वेतनमान रुपया-950-1500 के किसी

(18)

अधिसंख्य (सुपरन्यूमेरेरी) पद के पूर्ति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिये सृजित किया गया समझा जायेगा और जो दिनांक 29-2-96 अथवा कार्यालय में होने वाली कान्सटेबिल की प्रथम रिक्ति के दिनांक तक, जो पहले हो, सृजित रहेगा, व तत्पश्चात स्वयमेव समाप्त हो जायेगा।

3- मुझे यह भी कहना है कि इन नियुक्तियों में अनावश्यक बिलम्ब न हो, इस उद्देश्य से कान्सटेबिल के रिक्त पद को आस्थगित रखते हुए उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद में परिवर्तित करने का अधिकार जिला स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्र स्तर पर पुलिस उप महानिरीक्षक, जोन स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक एवं मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिदेशक/ अपर पुलिस महानिदेशक विभागीय अधिकारियों को प्रतिनिधानित किये जाते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक होंगे।

4- उपर्युक्त पदधारकों को स्वीकृत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार उन्हें अनुमन्य हों, देय होंगे।

5- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय-चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 26 गृह विभाग (पुलिस) के लेखा शीर्षक - "2055-पुलिस आयोजनेत्तर -109-जिला पुलिस -03-जिला पुलिस मुख्य।" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-12-1062/ दस-1995 दिनांक अप्रैल 7, 1995 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह० 17/4

(मुमताज अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या- 959(1)/छः-पु0-1-137/91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

(15) (2)

2- समस्त जिलाधिकारी ।

3- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन ।

4- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र ।

5- समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ।

6- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-12

7- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)

8- गृह (पुलिस) अनुभाग-2/6/7

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद)
विशेष सचिव ।

संख्या 768 / XX-7-2016-1(33)/2005

डॉ0उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–7 देहरादून दिनांक 26 मई, 2016

विषयः पुलिस विभाग में तैनात उर्दू अनुवादक/सह कनिष्ठ लिपिक को कान्स0 (एम) के रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र संख्या--डीजी--सात–206–2012 (पांच--ए) दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः 80 सीएम/47–का–4–94–15/10 /94 दिनांक 10 अक्टूबर, 1995 के प्रस्तर–2 में निहित व्यवस्था "उर्दू अनुवादक अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पद दिनांक 29.02.1996 तक की अवधि के बजाय विभाग/कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक की होने वाली प्रथम रिक्ति तक सृजित रहेगे में निहित प्राविधानों के क्रम में पुलिस विभाग में कार्यरत 62 उर्दू अनुवादक/सह कनिष्ठ लिपिक को उर्दू का कार्य नगण्य एवं विभाग की आवश्यकताओं के दृष्टिगत् कान्स0(एम) सीधी भर्ती वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे0 2000/- में रिक्त पदो के सापेक्ष निम्न प्रतिबन्धों के अधीन समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है:--

1-- उपरोक्त पदधारकों को पूर्व की भाँति समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार महगांई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य है देय होगें।

2-- उर्दू अनुवादक/सह कनिष्ठ लिपिक शासनादेश संख्या--631/XX–7/2016--1(12)/2005 दिनांक 07--04–2016 में निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार पुलिस विभाग में वर्तमान में कार्यरत कान्स0 (एम) के पदधारकों के नीचे वरिष्ठता कम में रखे जायेंगे।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

ADG(A) IG HQ DGP 27/5 SO-IZA ADG(A) 27/5/16 IG,HQ 27-5-16

Scanned with OKEN Scanner

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:डीजी–सात–56–2016(1)

दिनांक: जून । 2020

आदेश

सहायक उपनिरीक्षक(एम)/लिपिक के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कान्स0(एम) को सहायक उपनिरीक्षक (एम) के वेतनमान (छठे वेतनमान ₹ 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800/–, सातवें वेतनमान ₹ 29200–92300, वेतन मैट्रिक्स लेवल–5) के पद पर अनुमोदित करते हुये परिक्षेत्र आवंटित किया जाता है। परिक्षेत्र द्वारा जनपद आवंटित करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है:–

क0सं0	नाम	वर्तमान नियुक्ति	पदोन्नति में आवंटित परिक्षेत्र
1	श्रीमती रीतू नेगी	31वीं वाहिनी पीएसी	कुमायूँ परिक्षेत्र
2	मौ0 सुलेमान अजीमी	देहरादून	गढवाल परिक्षेत्र
3	कुरबान अली	आई0आर0बी0–प्रथम	कुमायूँ परिक्षेत्र
4	ताहिर अली	हरिद्वार	गढवाल परिक्षेत्र
5	सैययद विकार हैदर	संचार मुख्यालय	गढवाल परिक्षेत्र
6	मौ0 असरफ	क्षेत्रीय देहरादून	गढवाल परिक्षेत्र
7	अखलाक हुसैन	अभिसूचना ईकाई हरिद्वार	गढवाल परिक्षेत्र
8	ज़ाकिर हुसैन	संचार मुख्यालय	गढवाल परिक्षेत्र
9	मोनिस अहमद	सी0आई0डी0खण्ड–देहरादून	गढवाल परिक्षेत्र
10	अब्दुल वहीद	पौडी गढवाल	गढवाल परिक्षेत्र
11	सरवेज अलीखान	पुलिस मुख्यालय	गढवाल परिक्षेत्र
12	शमशेर अली	उत्तरकाशी	गढवाल परिक्षेत्र
13	मतलूब हसन	हरिद्वार	गढवाल परिक्षेत्र
14	जावेद हसन	टिहरी गढवाल	गढवाल परिक्षेत्र
15	इकबाल अहमद अंसारी	संचार मुख्यालय	गढवाल परिक्षेत्र
16	अब्दुल सुभान	हरिद्वार	गढवाल परिक्षेत्र
17	मौ0 तहसीन खॉं	40वी वाहिनी	गढवाल परिक्षेत्र
18	कमर उस समद खॉं	हरिद्वार	गढवाल परिक्षेत्र
19	नजमुल हसन	40वी वाहिनी	गढवाल परिक्षेत्र
20	मौ0 तहसीन	पौडी गढवाल	गढवाल परिक्षेत्र
21	मौ0 गुस्तकीन	जी0आर0पी0	गढवाल परिक्षेत्र
22	बदरे आलम	जी0आर0पी0	गढवाल परिक्षेत्र
23	फकरे आलम	देहरादून	गढवाल परिक्षेत्र
24	शमीम अहमद	देहरादून	गढवाल परिक्षेत्र
25	जिन्दा हसन	40वी वाहिनी	गढवाल परिक्षेत्र
26	रजनी रानी	आई0आर0बी0–द्वितीय	गढवाल परिक्षेत्र
27	वकार उल हक	टिहरी गढवाल	गढवाल परिक्षेत्र
28	वीना धीमान	40वी वाहिनी	गढवाल परिक्षेत्र
29	मौ0 नासिर	देहरादून	गढवाल परिक्षेत्र

EC 7 DIV-324
DT-1/6/20

	हामिद अली	देहरादून	गढवाल परिक्षेत्र
30	अब्दुल माजिद अन्सारी	पौडी गढवाल	गढवाल परिक्षेत्र
31	शकील हसन	46वी वाहिनी	कुमायूँ परिक्षेत्र
32	शमीउद्दीन	सी0आई0डी0 खण्ड–हल्द्वानी	कुमायूँ परिक्षेत्र
33	मौ0 रफी	ऊधमसिंहनगर	कुमायूँ परिक्षेत्र
34	मुअज्जम आरिफ	46वी वाहिनी	कुमायूँ परिक्षेत्र
35	अब्दुल हसन	मण्डलाधिकारी हल्द्वानी	कुमायूँ परिक्षेत्र
36	कमरूल हसन अन्सारी	टिहरी गढवाल	गढवाल परिक्षेत्र
37	श्रीमती कान्ता गौड	क्षेत्रीय हल्द्वानी	कुमायूँ परिक्षेत्र
38	अनीस मिया अन्सारी	31वी वाहिनी	कुमायूँ परिक्षेत्र
39	सलीम अन्सारी	बागेश्वर	कुमायूँ परिक्षेत्र
40	सुरेश चन्द्र सक्सेना	46वी वाहिनी	कुमायूँ परिक्षेत्र
41	भानु प्रकाश	हरिद्वार	गढवाल परिक्षेत्र
42	मौ0 सुलेमान	अल्मोडा	कुमायूँ परिक्षेत्र
43	इरफान अली	नैनीताल	कुमायूँ परिक्षेत्र
44	रिफाकत नबी खॉ	ऊधमसिंहनगर	कुमायूँ परिक्षेत्र
45	कुर्बान अली	बागेश्वर	कुमायूँ परिक्षेत्र
46	भाष्कर भारती	एसडीआरएफ	गढवाल परिक्षेत्र
47	सुहेल अनवर सम्सी	ऊधमसिंहनगर	कुमायूँ परिक्षेत्र
48	फुरकान अली	एस0टी0एफ0	गढवाल परिक्षेत्र
49	गणेश चन्द्र पोखरियाल	अभिसूचना मुख्यालय	गढवाल परिक्षेत्र
50			

2– परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक दिनांकः 4 –6–2020 तक सम्बन्धित कान्स0(एम) को जनपद आवंटित करते हुए सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक को दिनांकः 6–6–2020 तक कार्यमुक्त करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करते हुये कृत कार्यवाही से इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(पुष्पक ज्योति)
पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार, उत्तराखण्ड।
2– पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी/एसडीआरएफ उत्तराखण्ड।
3– पुलिस महानिरीक्षक, सी0आई0डी0, उत्तराखण्ड।
4– पुलिस महानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
5– पुलिस उपमहानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
6– पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
7– पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक/फायर सर्विस, उत्तराखण्ड।
8– समस्त वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9– समस्त सेनानायक, पीएसी/आई0आर0बी0/एसडीआरएफ।
10– पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार, उत्तराखण्ड।
11– प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

Scanned with OKEN Scanner

मृतक उर्दू अनुवादकों के आश्रित, जिन्हें मृतक आश्रित के अन्तर्गत सेवायोजन प्रदान किया गया है:—

क0 सं0	मृतक आश्रित अभ्यर्थी का नाम	अनुमोदित पद	आवंटित जनपद/इकाई
1	श्रीमती मुम्ताज पत्नी स्व0 उर्दू अनुवादक मौ0 जाकिर	महिला आरक्षी पीएसी	40वीं वाहिनी पीएसी
2	मौ0 काशिफ पुत्र स्व0 उर्दू अनुवादक फुरकान आजमी	चतुर्थ श्रेणी	जनपद हरिद्वार

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-80-सी०एम/47-का-4-94-15/10/94

प्रेषक,

श्री आर० बी० भाष्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०,
3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र०

लखनऊ: दिनांक 3 फरवरी, 1995।

विषयः— उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक (वेतनमान रुपये 950–1500) के पदों पर नियुक्तियाँ किया जाना।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-4

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 1994 के द्वारा उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के 5061 पदों पर नियुक्ति किए जाने हेतु आदेश, इस शर्त के साथ जारी किए गये थे कि जहाँ कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त हो वहाँ उक्त पद को आस्थगित करते हुए उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की जाए, जहाँ कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त न हो वहाँ सेवा निवृत्ति, प्रोन्नति अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाली कनिष्ठ लिपिक की प्रथम रिक्ति को आस्थगित करते हुए उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की जाए। उपर्युक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :–

> "यदि विभाग में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त है तो प्रश्नगत नियुक्ति ऐसे रिक्त पद को आस्थगित करते हुए की जायेगी। यदि कनिष्ठ लिपिक की कोई रिक्ति विद्यमान न हो तो भी नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो दिनांक 28-2-96 अथवा कार्यालय में होने वाली प्रथम कनिष्ठ लिपिक की रिक्ति के दिनांक तक, जो पहले हो सृजित रहेगा व तत्पश्चात् स्वमेव समाप्त हो जायेगा। यदि आवश्यकता हुई तो उपरोक्त तिथि के बाद भी इन्हें बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, यह अधिसंख्य पद उन्हीं, विभागों में सृजित होगें जहाँ कनिष्ठ लिपिक के पद पहले से विद्यमान हों जिनके भविष्य में रिक्त होने की सम्भावना हो।"

2—कृपया उपर्युक्त निर्देशानुसार उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर चयन/नियुक्ति संबंधी समस्त कार्यवाही विलम्बतम दिनांक 15 फरवरी, 1995 तक पूर्ण कर, चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश प्रत्येक दशा में दिनांक 20 फरवरी, 1995 तक जारी कर दिए जाएं। उपर्युक्तानुसार कृत कार्यवाही की सूचना कार्मिक विभाग को दिनांक 28 फरवरी, 1995 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

3—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–5-238/दस–95, दिनांक 3-2-1995 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आर० बी० भाष्कर,
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner